खण्ड-245, अंक-1
सोमवार, 14 माघ, शक संवत् 1885
(3 फरवरी, 1964 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 245 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय				पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	..	..	..	१–५
नव-निर्वाचित सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	..	..	..	५
श्री राज्यपाल के अभिभाषण के अंश का श्री अध्यक्ष द्वारा पाठ			..	५
उत्तर प्रदेश बद्रीनाथ टेम्पिल (संशोधन) अध्यादेश, १९६४ (मेज पर रखा गया)				६
उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाइज (टेम्पोरेरी पावर्स) (संशोधन) अध्यादेश, १९६४ (मेज पर रखा गया)	..	..	..	६
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर नियम, १९४८ में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)				६
महापालिका के कार्य के लिये नियुक्त वकीलों की नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें विनियमित करने के लिये नियमावली में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	..	..	..	६
उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन-कर अपील, पुनरीक्षण और वसूली नियमावली, १९६३ (मेज पर रखी गयी)		..	..	६
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के निर्वाचन तथा निर्वाचन संबंधी विवादों के निपटारे की) नियमावली, १९६३ में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	..	..	..	७
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (मुख्य अधिकारी तथा अन्य विभागाध्यक्षों पर अध्यक्ष का नियंत्रण) नियमावली, १९६३ (मेज पर रखी गयी)			..	७
उत्तर प्रदेश सरकारी बिजली व्यवसाय संस्था (देयों की वसूली) (संशोधन) विधेयक, १९६३ (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)			..	७
उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६३–६४ का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, १९६३ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)		..	..	७
उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स विधेयक, १९६३ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)				८
उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार निरसन विधेयक, १९६३ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)		..	..	८
उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५९–६० की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९६३ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)		..	..	८
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९६३ (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)		..	..	८
उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९६३ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	..	..	..	९
श्री बांकेलाल की गिरफ्तारी के संबंध में सूचना		..	..	९
नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं	..	..	..	९
नत्थी	..	..	..	१०–१४

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, ३ फरवरी, १९६४

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में २ १/२ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३४९

अक्षयवरसिंह, श्री
अनीज इमाम, श्री
अनीसुरंहमान, श्री
अब्दुल बशीर खां, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अवेद्यनाथ, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० प्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंघईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम जुल्लन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बगम
कृष्णपालसिंह, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
कशरीप्रसाद पांडेय, श्री
कशव गुप्त, श्री
केशव राम, श्री,
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भवौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री

गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्फन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जेड०ए० अहमद, श्री
जे०पी०मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्र नारायण, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अंसारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पुरुषोत्तमलाल बघवार, श्री (राजा जी)
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटसिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री

बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बसंतलाल शर्मा, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वरसहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भीखालाल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री

मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामआधार कनौजिया, श्री
रामआधीनसिंह, श्री
रामआनन्त पांडेय, श्री
रामआवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री

रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरणशाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री

शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शकुंतला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शारदानन्द, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
संतसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सूरजलाल गुप्त व ल, श्री

सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नव-निर्वाचित सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण

निम्नलिखित सदस्यों ने शपथ ग्रहण की—

(१) श्री शिब्बनलाल सक्सेना,

(२) श्री खयालीराम ।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण के अंश का श्री अध्यक्ष द्वारा पाठ

श्री अध्यक्ष—

अब मैं आपके सामने माननीय राज्यपाल के अभिभाषण की कुछ पंक्तियां पढ़े देता हूं ।

एक सदस्य—

अभी हमें अभिभाषण की प्रतियां नहीं मिली हैं ।

श्री अध्यक्ष—

अभी मिली जाती हैं ।

"विधान परिषद् के सभापति, विधान सभा के अध्यक्ष और विधान मंडल के सदस्यगण,

गत वर्ष ४ फरवरी को मुझे पहली बार आपको संबोधित करने का अवसर मिला था । मुझे प्रसन्नता है कि वर्ष १९६४ के प्रथम सत्र के प्रारम्भ होने के समय मुझे आपको उस कार्य के लिये फिर से एक बार आमंत्रित करने का अवसर मिला है जिसे आपको नये वर्ष में करना है ।

मैंने अपने पिछले अभिभाषण में अपनी उत्तरी सीमाओं पर हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना का उल्लेख किया था । यद्यपि स्थिति में प्रकट रूप से सुधार हुआ है, फिर भी वह आतंकपूर्ण बनी हुई है । अतएव, हमें सतर्क रहना है तथा अपने प्रतिरक्षा-कार्यों को सुदृढ़ बनाने के लिये अपना प्रयास जारी रखना है। मुझे प्रसन्नता है कि मेरी सरकार इसके प्रति पूर्णरूप से जागरूक है ।

× × × ×

मैंने संक्षेप में उस कार्य को जो आपके सामने आयेगा और उन कुछ समस्याओं को जिन्हें सुलझाना है, आपको बतलाने का प्रयत्न किया है । मुझे विश्वास है कि आप, विधान मंडल के सदस्य, अपने तर्कयुक्त तथा संतुलित विचार विमर्श से राज्य को अपना अभीष्ट गौरव प्राप्त करने के लिये मार्ग-प्रदर्शन कर सकेंगे । अबाध चर्चा, सहनशीलता तथा धैर्य लोकतंत्र का सार है जिससे हम सभी आबद्ध हैं । अतएव, मैं इस आशा के साथ अपना अभिभाषण समाप्त करता हूं कि आप अपने समस्त विचार-विमर्शों में लोकतंत्र के आदर्शों को बनाये रखने के लिये इन उच्च सिद्धांतों को सदैव ध्यान में रखेंग । जय हिन्द ।"

(पूर्ण भाषण के लिये देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १०–१४ पर)

उत्तर प्रदेश बद्रीनाथ टेम्पिल (संशोधन) अध्यादेश, १९६४*

कृषि उपमंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश बद्रीनाथ टेम्पिल (संशोधन) अध्यादेश, १९६४ को सदन की मेज पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) (संशोधन) अध्यादेश, १९६४*

रसद मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाइज (टेम्पोरेरी पावर्स) (संशोधन) अध्यादेश, १९६४ को सदन की मेज पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर नियम, १९४८ में प्रख्यापित संशोधन*

कृषि उपमंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश बिक्री-कर नियम, १९४८ में, वित्त (लेखा परीक्षा तथा बिक्री-कर) विभाग की विज्ञप्ति संख्या एस०टी०-३२६१-१/१०-९४२ (४)-६३, दिनांक २४ दिसम्बर, १९६३ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को, उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ की धारा २४ की उपधारा (५) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

महापालिका के कार्य के लिये नियुक्त वकीलों की नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें विनियमित करने के लिए नियमावली में प्रख्यापित संशोधन*

स्वायत्त शासन मंत्री की सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से महापालिका के कार्य के लिये नियुक्त वकीलों (Counsel) की नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें विनियमित करने के लिये नियमावली में, नगरपालिका विभाग की विज्ञप्ति संख्या १३०-म (नि-११) संशो-/१/११-ग-७०-कार्प- ५९, दिनांक ३ दिसम्बर, १९६३ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को, उत्तर प्रदेश नगर-महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ५४० की उपधारा (४) के अनुसार सदन की मेज पर रखती हूं ।

उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन-कर अपील, पुनरीक्षण और वसूली नियमावली, १९६३†

स्वायत्त शासन मंत्री की सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से नगरमहापालिका (ग) विभाग की विज्ञप्ति संख्या १०-सी (नियम-२)/११-ग-८७-सी-६३, दिनांक ४ जनवरी, १९६४ के अधीन प्रख्यापित उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन-कर अपील, पुनरीक्षण और वसूली नियमावली, १९६३ को, उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन-कर अधिनियम, १९६२ की धारा २८ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखती हूं ।

---

*छापे नहीं गये ।

†छापी नहीं गयी।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के निर्वाचन तथा निर्वाचन संबंधी विवादों के निपटारे की) नियमावली, १९६३ में प्रख्यापित संशोधन*

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के निर्वाचन तथा निर्वाचन संबंधी विवादों के निपटारे की) नियमावली, १९६३ में, पंचायती राज विभाग (२) की विज्ञप्ति संख्या ३५५५-बी ३३-७६-आर-६२, दिनांक, २७ दिसम्बर, १९६३ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ की धारा २३७ की उपधारा (३) के अनुसार, सदन की मेज पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (मुख्य अधिकारी तथा अन्य विभागाध्यक्षों पर अध्यक्ष का नियंत्रण) नियमावली, १९६३†

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

श्रीमन्, मैं पंचायती राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या १५०२-बी/३३-९-आर-६३, दिनांक १० दिसम्बर, १९६३ के अधीन प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (मुख्य अधिकारी तथा अन्य विभागाध्यक्षों पर अध्यक्ष का नियंत्रण) नियमावली, १९६३ को, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ की धारा २३७ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश सरकारी बिजली व्यवसाय संस्था (देयों की वसूली) (संशोधन) विधेयक, १९६३

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि—उत्तर प्रदेश सरकारी बिजली व्यवसाय संस्था (देयों की वसूली) (संशोधन) विधेयक, १९६३ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक २३ सितम्बर, १९६३ की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक २९ अक्टूबर, १९६३ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक १९ दिसम्बर, १९६३ को प्राप्त हो गयी है और वह १९६३ का उत्तर प्रदेश का २७वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६३-६४ का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, १९६३

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, आपकी आज्ञा से मैं घोषणा करता हूं कि—उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६३-६४ का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, १९६३ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक १२ दिसम्बर, १९६३ की बैठक में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक १७ दिसम्बर, १९६३ को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक २५ दिसम्बर, १९६३ को प्राप्त हो गयी है और वह १९६३ का उत्तर प्रदेश का २८वां अधिनियम बन गया ।

---

*छापे नहीं गये ।
†छापी नहीं गई ।

उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स विधेयक, १९६३

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, आपकी आज्ञा से मैं घोषणा करता हूं कि—उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स विधेयक, १९६३ पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक २४ सितम्बर, १९६३ की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक १८ दिसम्बर, १९६३ की बैठक में संशोधन सहित पारित किया था तथा जिस संशोधन को उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने २३ दिसम्बर, १९६३ को स्वीकार किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक ३० दिसम्बर, १९६३ को प्राप्त हो गयी है और वह १९६३ का उत्तर प्रदेश का २९वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार निरसन विधेयक, १९६३

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, आपकी आज्ञा से मैं घोषणा करता हूं कि—उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार निरसन विधेयक, १९६३ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक १० दिसम्बर, १९६३ की बैठक में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक १८ दिसम्बर, १९६३ को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय, की अनुमति दिनांक ३० दिसम्बर, १९६३ को प्राप्त हो गयी है और वह १९६३ का उत्तर प्रदेश का ३०वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५९–६० की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९६३

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, आपकी आज्ञा से मैं घोषणा करता हूं कि—उत्तर प्रदेश विनिबोग (१९५९–६० की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९६३ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक १० दिसम्बर, १९६३ की बैठक में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिपारिश के दिनांक १६ दिसम्बर, १९६३ को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक ३० दिसम्बर, १९६३ को प्राप्त हो गयी है और वह १९६३ का उत्तर प्रदेश का ३१वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश जमींवारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९६३

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, आपकी आज्ञा से मैं घोषणा करता हूं कि—उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९६३ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक २० सितम्बर, १९६३ की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदश विधान सभा ने अपनी दिनांक २९ अक्तूबर, १९६३ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक ३१ दिसम्बर, १९६३ को प्राप्त हो गयी ह और वह १९६४ का उत्तर प्रदेश का प्रथम अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश निर्माण-कार्य (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९६३

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, आपकी आज्ञा से मैं घोषणा करता हूं कि--उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९६३ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक २६ सितम्बर, १९६३ की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक ९ दिसम्बर, १९६३ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक २५ जनवरी, १९६४ को प्राप्त हो गयी है और वह १९६४ का उत्तर प्रदेश का २रा अधिनियम बन गया ।

श्री बांकेलाल की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष--

जो गिरफ्तारियां माननीय सदस्यों की हुई हैं उनके संबंध में सूचनायें माननीय सदस्यों को पत्रों द्वारा भेज दी गई हैं ।

एक जो सूचना ३० जनवरी को प्राप्त हुई थी उसकी पूरी सूचना आज प्राप्त हुई है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट देवरिया से, वह मैं आपको सुना देता हूं । वह है माननीय बांकेलाल एम० एल० ए० के बारे में । वह गिरफ्तार हुए शिवघाट, पो० आ० तनकोही, पुलिस सर्किल तरया सुजान में २९ जनवरी, १९६४ को अपराह्न में । डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की सूचना यह आयी है..... जो फार्म है आपका उसी फार्म में, उन्होंने सूचना दी है । रूल १२५ (९) (ए) यू०पी० डिफेंस आफ इंडिया रूल्स, १९६२ के अन्तर्गत वह गिरफ्तार हुए हैं साढ़े ३ बजे अपराह्न में २९ जनवरी, १९६४ को, शिवघाट, पो०आफिस तनकोही, पुलिस स्टेशन तरया सुजान, जिला देवरिया में और वह डिस्ट्रिक्ट जेल देवरिया में रखे गये हैं ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

इसके बारे में मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि मैं गया था वहां, मैजिस्ट्रेट ने एक फर्जी कागज पर उनका रिमांड लिया और उनको उच्च श्रेणी नहीं दी गई । वह विधायक हैं और इसके पहले उच्च श्रेणी उनको मिलती रही है लेकिन इसका कोई खयाल नहीं किया । वहां के अधिकारियों ने उनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया गया ।

नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

अब कुछ सूचनायें नियम ५२ के अन्तर्गत आज मिली हैं । उनके संबंध में व्यवस्था कल दी जायगी ।

अब हम उठते हैं और कल साढ़े दस बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन २ बजकर ४५ मिनट पर अगले दिन के १० १/२ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊः
३ फरवरी, १९६४ ।

नत्थी 'क'

(देखिये पीछे पृष्ठ ५ पर)

राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष ३ फरवरी, १९६४ को प्रारम्भ होने वाले वर्ष १९६४ के प्रथम सत्र में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, श्री विश्वनाथ दास का अभिभाषण

विधान परिषद् के सभापति, विधान सभा के अध्यक्ष, और विधान मंडल के सदस्यगण,

गत वर्ष ४ फरवरी को मुझे पहली बार आप को सम्बोधित करने का अवसर मिला था। मुझे प्रसन्नता है कि वर्ष १९६४ के प्रथम सत्र के प्रारम्भ होने के समय मुझे आप को उस कार्य के लिए फिर से एक बार आमंत्रित करने का अवसर मिला है जिसे आपको नये वर्ष में करना है।

मैंने अपने पिछले अभिभाषण में अपनी उत्तरी सीमाओं पर हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना का उल्लेख किया था। यद्यपि स्थिति में प्रकट रूप से सुधार हुआ है, फिर भी वह आतंक-पूर्ण बनी हुई है। अतएव, हमें सतर्क रहना है तथा अपने प्रतिरक्षा-कार्यों को सुदृढ़ बनाने के लिए अपना प्रयास जारी रखना है। मुझे प्रसन्नता है कि मेरी सरकार इसके प्रति पूर्णरूप से जागरूक है।

अपनी जनता के मनोबल को ऊंचा रखने तथा यथोचित सतर्कता बरतने के उद्देश्य से भी मेरी सरकार ने सीमा पर पी० ए० सी० का बहुत बड़ा दल लगा रक्खा है। उत्तर प्रदेश होम-गार्ड्स अधिनियम, १९६३ के बन जाने से होम-गार्ड्स की योजना सुदृढ़ आधार पर रख दी गयी है और यह आशा की जाती है कि धीरे-धीरे इसके अन्तर्गत १८ से ४० वर्ष तक की आयु-वर्ग के ऐसे सभी स्वस्थ व्यक्ति आ जायेंगे जो राज्य में होम-गार्ड्स संगठन में स्वेच्छा से सेवा करना चाहते हों। मेरी सरकार ने भारत सरकार द्वारा चलाई गयी योजना के अन्तर्गत इस राज्य में एक और सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, जिला नैनीताल में खोलने का भी निर्णय किया है।

उत्तराखण्ड डिवीजन के सीमान्त क्षेत्रों में, लोगों की दशा सुधारने के लिए, मेरी सरकार ने नये उत्साह से अपना प्रयास जारी रक्खा है। भरोसा किये जाने योग्य सड़कों, पीने के पानी की सुविधाओं, विज्ञान-शिक्षा, चिकित्सकीय सहायता के प्रसार और फलोद्यानों, उद्योगों तथा विद्युत्-शक्ति के विस्तार पर विशेष बल दिया जा रहा है। हाल ही में समाप्त हुई प्रभागीय योजना समिति (डिवीजनल प्लानिंग कमेटी) की बैठक में मेरे मुख्य मंत्री ने इस क्षेत्र की आवश्यकताओं तथा उन्हें पूरा करने के उपायों पर भी विस्तृत रूप में विचार-विमर्श किया है।

इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई भी प्रयास, चाहे वह प्रतिरक्षा के सम्बन्ध में हो अथवा विकास के, कितना ही प्रशंसनीय क्यों न हो, तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि आन्तरिक शान्ति न हो। अतएव, यह प्रसन्नता की बात है कि राज्य में शान्ति और व्यवस्था की स्थिति सब बातों को ध्यान में रखते हुये संतोषजनक रही है। मैं विशेष रूप से पुलिस के रेडियो विभाग द्वारा शीघ्रता से समाचार भेजने का उल्लेख करना चाहूंगा। इसके सचलदल (मोबाइल विंग) के कार्य से चम्बल घाटी में अधिक संख्या में डकैतों का सफाया हुआ है।

लोक सेवाओं में भ्रष्टाचार की बढ़ती हुई समस्या का, जो जनता की प्रगति तथा समृद्धि के मार्ग में बाधक है, काफी सख्ती के साथ रोकथाम तथा सामना करना आवश्यक है। सतर्कता आयोग (विजिलेंस कमीशन) की नियुक्ति करने में भारत सरकार ने जो पहल की है उसका मेरी सरकार स्वागत करती है और आशा करती है कि वह इस राज्य में नियुक्त किये जाने वाले ऐसे आयोग (कमीशन) के विवरण की घोषणा शीघ्र करेगी।

हमारा उद्देश्य समाजवादी राज्य की स्थापना करना तथा अन्तिम ध्येय जनता का कल्याण करना है, इस लिये कृषि उत्पादन को बढ़ाना तथा शीघ्रता से उद्योगीकरण करना हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिये। वर्तमान संकटकाल की स्थिति के कारण, विभिन्न दिशाओं में किये जाने वाले प्रयासों में शीघ्रता तथा तीव्रता आयी है। कृषि कार्यक्रमों, छोटी सिंचाई की योजनाओं, भूमि संरक्षण तथा विद्युत् योजनाओं पर अब विशेष बल दिया जा रहा है और ऐसे कार्यक्रमों की गति को, जिनसे शीघ्र परिणाम की आशा की जाती है, तीव्र किया जा रहा है। इस प्रयोजन के लिये प्रशासन-तंत्र को उपयुक्त रूप से सक्रिय बनाने के लिये एक उच्च अधिकार-प्राप्त कृषि उत्पादन समिति भी संघटित की गयी है।

जैसा कि आप को विदित है, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग के आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर और देवरिया, इन चार जिलों की आर्थिक तथा सामाजिक दशाओं का न्यादर्श अध्ययन करने के लिए पिछले वर्ष योजना आयोग द्वारा नियुक्त संयुक्त अध्ययन दल ने अपना कार्य पूरा कर लिया है। आशा की जाती है कि उसका प्रतिवेदन राज्य के पूर्वी क्षेत्रों के विकास-कार्यक्रम तैयार करने में सहायक सिद्ध होगा।

हाल ही में, खाद्यान्नों तथा शक्कर के मूल्यों का बढ़ जाना मेरी सरकार के लिए लगातार चिन्ता का विषय बना हुआ है, विशेष रूप से उस दशा में जब कि उत्पादन बढ़ाने और मूल्यों को उचित सीमा के अन्दर रखने के लिए विभिन्न विकास योजनाओं द्वारा हर तरह से प्रयास किया गया है। इस स्थिति का सामना करने के लिए सम्पूर्ण राज्य में खोली गयी उचित मूल्य की दुकानों द्वारा इन वस्तुओं का वितरण करने के अतिरिक्त विभिन्न विनियामक उपायों को और कड़ा किया गया है तथा उन्हें अनुपूरित किया गया है।

आर्थिक समृद्धि तथा औद्योगिक विकास कृषि पर निर्भर है। अतएव, तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में राज्य के लिए कृषि उत्पादन के काफी उच्च लक्ष्य स्वीकार किये गये थे। किन्तु तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों में कृषि उत्पादन पिछड़ गया है। इसके कुछ कारण मौसम का प्रतिकूल होना, उर्वरकों के वितरण तथा हरी खाद के प्रयोग में धीमी प्रगति तथा सिंचाई के सम्भाव्य साधनों का प्रयोग न किया जाना, आदि थे। इन बाधाओं को दूर करने के लिये अब प्रबल प्रयस किये जा रहे हैं। कृषि उत्पादन, प्रसार तथा सम्भरण से सम्बद्ध विभागों के कार्यकलापों को समन्वित तथा दोषमुक्त बनाने के उपायों पर भी मेरी सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कृषि उत्पादन कार्य को वही पूर्वता दी जाय जो उसे दी जानी चाहिये, सभी प्रयास किये जायेंगे। मेरी सरकार का विचार चावल, गन्ना, तिलहन तथा कपास के सघन विकास के लिए संवेष्ट परियोजनायें प्रारम्भ करने और असिंचित क्षेत्रों में बागनी खेती की प्रणाली द्वारा छोटे दाने के मोटे अनाज तथा दालों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये विशेष उपायों को काम में लाने का है। कृषकों को उपज का उचित मूल्य मिले, इस उद्देश्य से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी विधेयक पहले से ही आप के समक्ष है।

घरेलू खपत में शक्कर की बढ़ती हुई मांग और निर्यात में वृद्धि की प्रत्याशा से गन्ना उत्पादन में वृद्धि करने की आवश्यकता को और भी अधिक महत्व मिला है। मेरी सरकार द्वारा पिछले वर्ष नियुक्त उच्च अधिकार-प्राप्त गन्ना परामर्शदात्री समिति की सिफारिशों पर राज्य में शक्कर के समस्त कारखानों को चारों ओर के क्षेत्रों में गन्ने का सघन विकास करने की एक योजना इस उद्देश्य से तैयार की गयी है कि चालू योजना की अवधि के अन्त तक गन्ने की औसत उपज, वर्तमान उपज से प्रति एकड़ सौ मन अधिक बढ़ जाय।

सिंचाई के सम्भाव्य साधनों की, जिनकी बड़ी आवश्यकता है, व्यवस्था करने के उद्देश्य से विभिन्न सिंचाई योजनाओं के, जिनके अन्तर्गत कुछ बड़ी-बड़ी योजनायें तथा बहुत सी मध्यम और लघु योजनायें भी हैं, कार्यान्वयन की गति को बढ़ाया जा रहा है और साथ ही जिन योजनाओं का काम हाथ में लिया जा चुका है उन्हें यथा संभव शीघ्र पूरा करने का भरसक प्रयास किया जा

रहा है और सिंचाई के वर्तमान सम्भाव्य साधनों का पूर्ण उपयोग करने के उपाय मालूम किये जा रहे हैं।

उद्योग में पूंजी लगाने के लिए परिस्थितियां सामान्यतः अनुकूल रही हैं और राज्य का द्रुतगति से उद्योगीकरण करने का बराबर प्रयास किया जा रहा है। प्रकाशीय उपकरण कारखाना (आप्टिकल इन्स्ट्रूमेंट फैक्टरी) तथा प्ररचना एवं अन्वेषण केन्द्र (डिजाइन कम रिसर्च सेन्टर) स्थापित करने के अतिरिक्त, जिला मिर्जापुर में डल्ला नामक स्थान में एक नयी राजकीय सीमेंट फैक्ट्री स्थापित करने के लिये भी कार्यवाही की गयी है। भारत सरकार द्वारा ऋषिकेश में एक प्रतिजीवाणु कारखाना (एन्टीबायोटिक्स फैक्ट्री), हरिद्वार में एक भारी विद्युत् कारखाना (हैवी एलेक्ट्रिकल फैक्ट्री) और गोरखपुर में एक उर्वरक कारखाना भी स्थापित किया जा रहा है

निजी क्षेत्र में कतिपय महत्वपुर्ण परियोजनाओं में, जैसे सिन्थेटिक ऐंड केमिकल्स लिमिटेड (बरेली), अल्युमीनियम कन्डक्टर ऐंड स्टील रीइनफोर्स्ड कन्डक्टर फैक्ट्री (लोनी, मेरठ), कैल्सियम कारबोनेट फैक्ट्री (ऋषिकेश) और शुगर मिल मशीनरी प्रोजेक्ट (इलाहाबाद) में उत्पादन कार्य शुरू हो गया है। उप-खनिज का विनियमन और नियंत्रण करने के प्रयोजन के लिए उत्तर प्रदेश उप-खनिज (परिहार) नियमावली, १९६३ प्रचलित कर दी गयी है, जिससे स्वामित्व (रायल्टी) के रूप में राज्य को अतिरिक्त आय होगी।

राज्य में ग्राम एवं लघु उद्योग के विकास पर पूर्ववत् बल दिया जा रहा है और औद्योगिक आस्थानों की स्थापना के कार्यक्रम में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

नैनीताल, मेरठ तथा सहारनपुर जिलों में तीन सहकारी शक्कर कारखानों के अतिरिक्त, ऐसा ही एक और कारखाना पीलीभीत जिले में खोला जा रहा है तथा अन्य सहकारी शक्कर कारखानों को लाइसेंस दिये जाने के लिये भारत सरकार को लिखा गया है। भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक समिति, राज्य के, विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश के, पुराने और अलाभकारी शक्कर कारखानों को लाभकर बनाने, उनका आधुनिकीकरण और विस्तार करने के प्रश्न पर विचार कर रही है। इस समिति की सिफारिशें शीघ्र प्राप्त होने की आशा है।

सरकार का विचार है कि राज्य में उत्पादित समस्त शीरे को बचाने तथा उसे सुरक्षित रखने और आसवनियों (Distilleries) तथा अन्य औद्योगिक प्रयोजनों के लिए उसका समुचित वितरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक नया उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण विधेयक आप के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

श्रमिकों के साथ अच्छे सम्बन्ध बनाये रखना तथा उनका कल्याण करना मेरी सरकार की श्रम नीति का आधार अब भी है। इससे अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं, यद्यपि श्रम कल्याण के क्षेत्र में भी बहुत कुछ करना बाकी है। फिर भी मैं इस अवसर पर श्रमिकों को औद्योगिक शान्ति बनाये रखने तथा औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि में सहायता देने के लिये बधाई देता हूं।

सरकार ने राज्य में कृषि उत्पादन बढ़ाने और साथ ही उद्योगीकरण की गति में तेजी लाने के लिये सम्भाव्य शक्ति साधनों में शीघ्रता से वृद्धि करने की आवश्यकता को पूर्णतः स्वीकार किया है। यह हर्ष का विषय है कि विभिन्न विद्युत् परियोजनाओं के पूरा होने तथा नये अधिष्ठानों की वृद्धि होने और नये बिजली घरों के बनने से चालू योजना की अवधि के अन्त तक विद्युत् उत्पादन की क्षमता में काफी वृद्धि हो जायगी। २२० किलो वोल्ट की ट्रंक लाइन बनाने का काम भी चल रहा है जो राज्य के सुदूर दक्षिण-पूर्व में स्थित ओबरा थर्मल बिजलीघर से लेकर पश्चिम में मुरादनगर तक जायगी। इस २२० किलो वोल्ट ट्रंक लाइन से राज्य के विभिन्न बिजलीघरों को आपस में मिलाने तथा विभिन्न भार केन्द्रों में विद्युत् सम्भरण के लिए अपेक्षाकृत कम वोल्टेज की शाखायें निकलेंगी। चालू योजना की अवधि के अन्त तक इस योजना के पूरा हो जाने पर राज्य के सभी भागों में बिना किसी कठिनाई के बिजली की आवश्यकतायें पूरी करना संभव हो जायगा। साथ ही उत्तर प्रदेश की विद्युत् प्रणाली में और अधिक अच्छा समन्वित कार्य संचालन सुनिश्चित करना संभव हो जायगा।

राज्य विद्युत् परिषद्, गावों का विद्युतीकरण बड़ी तत्परता से कर रही है और आशा की जाती है कि चालू योजना के अन्त तक १,५०० गावों के लक्ष्य की तुलना में ३,००० से अधिक गांवों को विद्युतीकरण का लाभ प्राप्त हो सकेगा।

इस राज्य में अब तक, वनों का प्रबन्ध 'व्यापक' आधार पर किया गया है। जिस तीव्र गति से उद्योगीकरण हो रहा है तथा जन-संख्या बढ़ रही है उसके अनुरूप ही वन उपज की मांग भी बहुत बढ़ गयी है। अतएव, अब यह विचार किया गया है कि अगले वित्तीय वर्ष से वनों का प्रबन्ध अधिक सतर्कता से 'सघन' आधार पर किया जाय जिससे कि वन उपज और कच्ची सामग्री के संसाधनों में तुरन्त वृद्धि हो सके। फार्म वन विज्ञान पर विशेष ध्यान दिया जायगा।

सहकारिता के बढ़ते हुए महत्व तथा प्रत्येक कार्य क्षेत्र, विशेष रूप से सहकारी खेती, में शनैः शनैः उसका प्रभाव पड़ने से यह प्रकट हो गया है कि वर्तमान कोआपरेटिव सोसाटीज एक्ट समय की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकता और उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है। राज्य में सहकारी भूमि बंधक बैंक स्थापित करने तथा उनका कार्य सुकर बनाये जाने के लिये भी विधान बनाना वांछनीय है।

राष्ट्रीय संकटकालीन स्थिति की घोषणा के कारण वर्तमान राजपथ प्रणाली के सुधार तथा कुछ पिछड़े हुए क्षेत्रों में पथ-संचार के विकास की आवश्यकता बढ़ गयी है। राज्य के महत्वपूर्ण प्रमुख मार्गों को पक्का करने के लिए लगभग ३४० लाख रुपये के अनुमानित लागत की एक योजना स्वीकृत की गयी है। लगभग ११.४२ लाख रुपये के अनुमानित लागत की एक और योजना, तराई पट्टी के अविकसित क्षेत्र में मार्ग-संचार के विकास के लिए स्वीकृत की गयी है।

जिला परिषदों और क्षेत्र समितियों का संघटन हो जाने तथा उनके कार्य करने से लोकतंत्रीय विकेन्द्रीकरण की एक अच्छी नींव पड़ गयी है। विभिन्न नगरपालिकाओं तथा अन्य स्थानीय निकायों के सामान्य निर्वाचनों को, जो बहुत पहले सम्पन्न हो जाने चाहिये थे, पूरा करना है और, उनका कार्यकाल ३० जून, १९६४ को समाप्त होने के पूर्व, नये निकायों को संघटित करना है। यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ तथा यू० पी० टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१४ में संशोधन करने का विचार किया गया है जिससे कि इन स्थानीय निकायों के प्रशासन में सुधार किया जा सके और उन्हें वर्तमान व्यवस्था के अनुरूप बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त राज्य की पंच महानगरियों में नगर महापालिकाओं के कार्य संचालन से यह स्पष्ट हो गया है कि वर्तमान अधिनियम में, जिसके अधीन वे कार्य कर रही हैं, कतिपय परिवर्तन करने की भी आवश्यकता है। राज्य में आवास एवं विकास परिषद् की स्थापना के लिए भी एक विधेयक, जिसका उल्लेख मैंने अपने पिछले अभिभाषण में किया था, आपके सामने विचारार्थ प्रस्तुत किया जायगा।

विमुक्त जातियों तथा अनुसूचित जातियों के बच्चों के लिए आश्रम की तरह के स्कूलों की संख्या बढ़ाकर पांच कर दी गयी है। आर्थिक उत्थान के कार्यक्रमों के अधीन पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को कुटीर उद्योगों में लगाकर उन्हें फिर से बसाने के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है और हरिजनों के लिए १५ औद्योगिक आस्थान स्थापित करने की दिशा में भी पर्याप्त प्रगति हुई है। आशा है कि ये आस्थान १९६४–६५ में कार्य आरम्भ कर देंगे। आर्थिक उत्थान के कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया जायगा और १९६४–६५ में हरिजनों के लिए एक पालिटेक्निक स्थापित करने का विचार है।

चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में रोगियों की संख्या यथासंभव न्यूनतम सीमा तक लाने और लोगों को दीर्घायु बनाने के लिये समस्त प्राप्य संसाधन काम में लाये जा रहे हैं। किन्तु डाक्टरों और सहायक कर्मचारियों की कमी के कारण जनसाधारण के लिए चिकित्सा सुविधाओं का प्रसार करने में अब भी बाधा पड़ रही है। इस कमी को पूरा करने के लिए अगले वित्तीय वर्ष से मेरठ में एक नये मेडिकल कालेज की स्थापना करने तथा के०

जी० मेडिकल कालेज, लखनऊ में भेषजिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने और चुने हुए २० जिला चिकित्सालयों में चिकित्सा परिचारकों को प्रशिक्षित करने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

प्राविधिक शिक्षा तथा वैज्ञानिक शोध-कार्य पर विशेष ध्यान देते हुए शिक्षा प्रसार पर लगातार बल दिया जा रहा है। राज्य वेधशाला, नैनीताल में प्रकाश चक्रों (light curves) और उपग्रह मार्ग (satellite tracking) के विश्लेषण का एक वृहत् कार्यक्रम आरम्भ किया गया और एंग्लो (Anglow) तथा सौर गतियों के संबंध में लाभदायक अध्ययन किया गया। सफल याम्योत्तर-गमन (transis) के आंकड़ों के आधार पर इस स्टेशन के परिणाम नम्बर, १९६२ से मार्च, १९६३ की अवधि में ,संसार के अन्य समस्त वेधशालाओं की तुलना में सर्वोत्तम माने गये थे।

अभी हाल में राज्य में कड़ाके की सर्दी पड़ी। रिपोर्ट प्राप्त हो रही हैं कि खड़ी फसलों को विशेष कर अरहर और मटर को क्षति पहुंची है। इससे काफी चिन्ता है। जिला अधिकारियों से कहा गया है कि वे तुरन्त इस क्षति का अनुमान लगायें। मेरी सरकार क्षतिग्रस्त क्षेत्रों में काश्तकारों को सहायता देने की हर कोशिश करेगी।

मेरी सरकार के पास राज्य का विकास करने के निमित्त अपने दायित्वों का निर्वहन करने तथा अपने वचनों को पूरा करने के लिए संसाधन सीमित हैं और वर्तमान संसाधनों को संगृहीत करने के समस्त प्रयासों के बावजूद भी उन्हें बढ़ाने की आवश्यकता हो सकती है। अतएव मेरी सरकार, यदि आवश्यक होगा तो आपसे अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था करने की मांग करेगी।

उस अवधि में जब विधान मंडल का सत्र नहीं हो रहा था, मेरे लिए उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ टेम्बिल (संशोधन) अध्यादेश, १९६४ तथा उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) (संशोधन) अध्यादेश, १९६४ प्रख्यापित करना बहुत आवश्यक हो गया। उन्हें विधान मंडल द्वारा पारित अधिनियमों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना है।

वर्ष १९६३–६४ के लिए अनुपूरक मांगों की दूसरी किस्त तथा वर्ष १९६४–६५ के लिए बजट अनुमान क्रमशः १० फरवरी तथा १३ फरवरी, १९६४ को आपके सामने प्रस्तुत किये जायंगे। निस्संदेह, इस सत्र में आपका अधिक समय उनसे सम्बद्ध वित्तीय कार्य के निस्तारण में लग जायगा। इसके अतिरिक्त आप को विधानों पर भी विचार करना होगा। कुछ विधान आपके विचारार्थ पहले से ही हैं। मैंने कुछ और विधानों का उल्लेख प्रारम्भ में किया है जिनमें से कुछ आपके सामने इस सत्र में लाये जायेंगे। कुछ अन्य विधानों पर भी आपसे विचार करने की अपेक्षा की जा सकती है।

मैंने संक्षेप में उस कार्य को जो आप के सामने आयेगा और उन कुछ समस्याओं को जिन्हें सुलझाना है, आपको बतलाने का प्रयत्न किया है। मुझे विश्वास है कि आप, विधान मंडल के सदस्य, अपने तर्कयुक्त तथा संतुलित विचार-विमर्श से राज्य को अपना अभीष्ट गौरव प्राप्त करने के लिए मार्ग-प्रदर्शन कर सकेंगे। अबाध चर्चा, सहनशीलता तथा धैर्य लोकतंत्र का सार है जिससे हम सभी आबद्ध हैं। अतएव, मैं इस आशा के साथ अपना अभिभाषण समाप्त करता हूं कि आप अपने समस्त विचार-विमर्शों में लोकतंत्र के आदर्शों को बनाये रखने के लिए इन उच्च सिद्धान्तों को सदैव ध्यान में रखेंगे।

जय हिन्द!

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—२२० एल० ए०—१९६४—८६०।